राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित

चर्चा में क्यों?

20 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक-2023 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि खेती एवं पशुपालन सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़ाने की मंशा से यह विधेयक लाया गया है।
- उन्होंने कहा कि पशुधन को बचाने एवं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिये जोबनेर में राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना से ग्रामीण परिवारों के बच्चों को भी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान की आधुनिकतम तकनीक से युक्त शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा।
- उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य होगा, जहाँ दो पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होंगे। बीकानेर में स्थित पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में 16 ज़िले होंगे, जबकि जोबनेर में स्थापित होने वाले नये विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र 17 ज़िलों का होगा।
- कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने बताया कि राज्य में 5 लाख 66 हज़ार पशुधन एवं 1 लाख 46 हज़ार कुक्कुट संपदा है। भारत सरकार के नये आँकड़ों के अनुसार दूध उत्पादन में प्रदेश का पहला स्थान है।
- इससे पहले विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव सदन ने ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-veterinary-animal-science-university-jobner-jaipur-bill-2023-passed